[2021] 2 एस. सी. आर. 201

राचना और ओ. आर. एस.

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(लिखित याचिका (सिविल) सं. 1410 2020 का)

24 फरवरी, 2021

[ए. एम. खानविलकर, इंदु मल्होत्रा और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 32 – यू. पी. एस. ई. परीक्षा के अंतिम प्रशिक्षु द्वारा लिखित याचिका-मैंडमस ने प्रथम प्रतिवादी से अनुरोध किया

भारत संघ एक अतिरिक्त प्रयास का विस्तार करेगा क्योंकि उन्हें किया जा रहा है

उपलब्ध प्रयासों के समाप्त होने या सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 के बाद आयु सीमा के कारण भविष्य में परीक्षा का प्रयास करने से रोक दिया गया; और कोविड-19 महामारी के कारण, वे प्रभावी रूप से परीक्षा में भाग नहीं ले सके।

परीक्षा 2020-आयोजितः इस तरह का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है-नीतिगत निर्णय इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं यदि यह या तो पूरी तरह से मनमाना है या कारणों से अवगत नहीं है।

नीतिगत निर्णय की न्यायिक समीक्षा और इसके लिए आदेश जारी करना

एक विशेष तरीके से नीति की रूपरेखा बिल्कुल अलग होती है कार्यकारी बेहतर प्रशासन के लिए और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर नीतिगत निर्णय ले सकता है।

आवश्यकताएँ लेकिन साथ ही, यह कानून बनाने के लिए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है-न्यायालय को किसी नीतिगत निर्णय की वैधता पर केवल तभी विचार करने के लिए कहा जाता है जब कोई चुनौती दी जाती है कि ऐसा नीतिगत निर्णय संविधान या किसी अन्य वैधानिक अधिकार द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है-केवल इसलिए कि नीति के मामले के रूप में, यदि पहले प्रतिवादी ने अतीत में इस कारण से छूट दी थी कि परीक्षा पैटर्न/पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ था और दी गई स्थिति में, सी. एस. ई. में प्रतिभागी के लिए एक बाधा माना गया था, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से किसी भी सहायता का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि पहले के अवसरों पर कार्यपालिका द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय हमेशा तथ्यों पर निर्भर करते हैं।

21] 2 एस सी आर।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1.1 प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम 2015 से और प्रतिस्पर्धा के नियमों के बाद से नहीं बदला है

सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए प्रथम उत्तरदाता द्वारा परीक्षा 2020 को अधिसूचित किया गया था, नोटिस, 12.2.2020 पर प्रकाशित किया गया था और परीक्षा की निर्धारित तिथि 31 मई, 2020 को निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व स्थिति के कारण, आयोग ने परीक्षा को स्थगित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया और बदली हुई स्थिति में, परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया।

लॉकडाउन में ढील देते हुए अंततः 5 जून, 2020 को 4 अक्टूबर, 2020 को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया और

इसलिए, उम्मीदवारों को तीन महीने के बजाय अतिरिक्त पांच महीने (यानी आठ महीने) मिले, जिसकी तैयारी आम तौर पर कोई भी कर सकता है। नियम 2020 की योजना के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए। [पैरा 33] [223-ए-डी]

1.2 नियम 2020 की योजना के तहत, केवल फॉर्म भरना एक प्रयास का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर कोई दिखाई देता है

प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी पेपर, वह था

उम्मीदवार द्वारा किया गया एक प्रयास माना जाता है और दी गई स्थिति में, आवेदन पत्र भरने के बाद, जो उम्मीदवार कोविड-19 महामारी के कारण बाद के चरण में अपना आवेदन पत्र वापस लेना चाहते थे, आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए दूसरी बार खिड़की खोलने का नीतिगत निर्णय लिया, जो 1 अगस्त, 2020 से 8 अगस्त, 2020 तक अपना आवेदन वापस लेने का इरादा रखते थे। चूंकि परीक्षा 4 अक्टूबर, 2020 को निर्धारित की गई थी, इसलिए केवल वे उम्मीदवार बचे थे जो मानसिक रूप से उपस्थित होने के लिए तैयार थे और परीक्षा 2020 और उसके बाद उपस्थित होने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक थे

चयन की प्रक्रिया में भाग लें जो शुरू की गई है आयोग द्वारा 4 अक्टूबर, 2020 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए। [पैरा 34] [223-डी-जी]

1.3 यह अदालत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि वर्तमान परीक्षा 2020 के अलावा, आर. ए. सी. एच. एन. ए. और ओ. आर. एस. उपचारात्मक उपायों को अपनाया गया था।

उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने कोविड-19 के दौरान दिए गए समय पर आयोग द्वारा केंद्रीय सेवाओं के लिए आयोजित विभिन्न परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं में भाग लिया था

महामारी और इसके अलावा, राज्य आयोगों/भर्ती एजेंसियों ने विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी परीक्षाएँ/भर्ती परीक्षाएँ आयोजित की होंगी और केवल इसलिए कि वर्तमान में

याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में एक शिकायत की, जिसे कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में अतिरिक्त अवसर/प्रयास की मांग के उद्देश्य से अलग-थलग नहीं किया जा सकता है, जिसका सामना न केवल उम्मीदवारों ने परीक्षा 2020 में किया है, बल्कि उम्मीदवारों ने परीक्षा 2020 में भाग लिया है। उम्मीदवार राज्य आयोगों या अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित हुए और कुल मिलाकर, समाज का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी तरह से, लेकिन यह किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ/प्रयास का दावा करने का वैध अधिकार नहीं देता है जो अन्यथा नियम 2020 की योजना के तहत अनुमेय नहीं है। [पैरा 35] [223-जी-एच; 224-ए-सी]

1.4 सामान्य श्रेणी और नियम 2020 की योजना में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रयास हैं प्रथम उत्तरदाता को अनुदान देने के लिए कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है

इस न्यायालय ने उन उम्मीदवारों के लिए कुछ सहानुभूति दिखाई है जो अपना अंतिम प्रयास कर रहे थे और अगर उन्हें कोई अनुग्रह दिखाया जा सकता है तो अगली परीक्षा के लिए उम्र प्रतिबंधित होने की भी संभावना थी। इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रथम प्रतिवादी ने एक ऐसा तरीका खोजने का प्रयास किया जिससे ऐसे उम्मीदवारों को सांत्वना मिल सके और इस न्यायालय के समक्ष यह भी रखा कि उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने की संभावना है जिन्होंने अंतिम और अंतिम का लाभ उठाया था। परीक्षा 2020 में प्रयास करें बशर्ते वे नियमों के नियम 6 के तहत प्रदान किए गए अपने संबंधित आयु वर्ग के भीतर हों।

याचिकाकर्ताओं और उनमें से प्रत्येक ने कोविड-19 महामारी के दौरान किसी न किसी तरह से पीड़ा झेली है। साथ ही, यह तर्क उन लोगों पर भी समान रूप से लागू होगा जिन्होंने उच्च आयु सीमा को पार कर लिया है। इसके अलावा, जब आयु वर्ग में छूट देने के लिए प्रथम उत्तरदाता के पास कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है नियम 2020 की योजना के नियम 6 के तहत प्रदान किए गए उम्मीदवारों के अलावा, जो वास्तव में वर्तमान याचिकाकर्ता अधिकार के मामले के रूप में दावा करने के हकदार नहीं हैं और इसके अलावा, जिन्होंने तैयारी की कमी के कारण अपने फॉर्म वापस ले लिए हैं या

कुछ व्यक्तिगत कारणों से लेकिन सी. एस. ई. 2021 में उपस्थित होने के लिए ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुके हैं, वे भी समान रूप से दावा करने के हकदार होंगे और कोई अंतर नहीं किया जा सकता है कि उम्मीदवार परीक्षा 2020 में उपस्थित हुआ है और अंतिम प्रयास का लाभ उठाया है या प्रयास अभी भी उपलब्ध है या ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुका है। [पैरा 38] [224-एच; 225-ए-डी]

1.7 नियम 2020 की योजना के तहत प्रयास या उम्र में कोई रियायत उपलब्ध नहीं है, साथ ही, प्रस्ताव जो

याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा स्वयं की गई शिकायत के अलावा प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है

चरित्र में भेदभावपूर्ण, इस स्थिति और किसी भी छूट से बचने की सलाह दी जाती है जो नियम 2020 की योजना के तहत प्रयास या उम्र में अनुमति नहीं है।

नियमों का उल्लंघन, यह भेदभावपूर्ण हो सकता है और यह सलाह दी जाती है कि इस न्यायालय के 30 सितंबर, 2020 के आदेश के अनुपालन में प्रथम प्रतिवादी द्वारा जो प्रस्तावित किया जा रहा है, उसे लागू करने में विवेक का प्रयोग न करें। [पैरा 39] [225-डी-एफ] 1.8 यह निवेदन कि प्रतिवादी द्वारा पहले के चयनों में नीति के रूप में विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है और वर्तमान याचिकाकर्ताओं को एक वैध अपेक्षा है कि सरकार को इससे उबरने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए

अभूतपूर्व स्थिति जिसका याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा 2020 में उपस्थित होने के दौरान सामना किया है और उनके निष्पक्ष आर. ए. सी. एच. एन. ए. और ओ. आर. एस. के अधिकार।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

चयन प्रक्रिया में विचार और प्रभावी भागीदारी

उन्हें मना कर दिया गया है जो कला का उल्लंघन है। 14 और संविधान की धारा 21, इस कारण से सारहीन है कि कार्यपालिका द्वारा पहले के अवसरों पर लिए गए नीतिगत निर्णय, जिनका संदर्भ दिया गया है, हमेशा इस पर निर्भर करते हैं -

दिए गए समय पर तथ्यों और परिस्थितियों का स्वतंत्र रूप से उन परिस्थितियों में परीक्षण किया जाना चाहिए जिनमें यह किया गया है।

तत्काल मामले में सक्षम प्राधिकारी या प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रयोग किया गया। [पैरा 40-41] [225-F-H; 226-A-B]

1.9 यह प्रस्तुत किया गया था कि ऊपरी आयु सीमा और विभिन्न वर्तनी में प्रयासों की संख्या में हमेशा बदलाव होता है और

आगे इस बात पर जोर दिया गया कि वर्ष 2015 में, प्रथम उत्तरदाता ने सी. एस. ई. 2011 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा 2015 में एक और प्रयास की अनुमति दी। यद्यपि उत्तरदाताओं द्वारा अपने उत्तर में यह औचित्य प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2011 के पैटर्न में पर्याप्त बदलाव आया था, दी गई परिस्थितियों में, प्रथम उत्तरदाता ने अपने विवेक से ऐसे लोगों को सी. एस. ई., 2015 में एक और प्रयास देना उचित समझा।

वे उम्मीदवार जो सिविल सेवा परीक्षा, 2011 में या तो ऊपरी आयु सीमा तक पहुंचने के कारण या संख्या समाप्त होने के कारण उपस्थित हुए थे

नियम 2020 की योजना के तहत या कला की सहायता से। 14 संविधान की ओर से दी गई परिस्थितियों में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन्हें दूर करने का आह्वान करना। [पैरा 42] [226-बी-ई] 2.1 नीतिगत निर्णय एक बहुत ही सीमित उद्देश्य के लिए इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं और यह न्यायालय इस तरह से बनाई गई सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है यदि यह या तो बिल्कुल मनमाना है, पूरी तरह से मनमाना है या कारणों से सूचित नहीं है। [पैरा 43]

भारत संघ और अन्य बनाम एम. सेल्वाकुमार और एक अन्य (2017) 3 एससीसी 504: [2017] 4 एससीआर 137-निर्भर

पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.2 किसी नीतिगत निर्णय की न्यायिक समीक्षा और किसी विशेष तरीके से नीति बनाने के लिए अनिवार्यता जारी करना बिल्कुल अलग है। बेहतर स्थिति के लिए मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेना कार्यपालिका के दायरे में आता है।

प्रशासन और आवश्यकताओं को पूरा करने में, लेकिन साथ ही, यह कानून बनाने के लिए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। न्यायालय कानून की व्याख्या करते हैं और इस तरह की व्याख्या में कुछ रचनात्मक प्रक्रिया शामिल होती है। अदालतों के पास कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार क्षेत्र है। वह भी, जहाँ इसकी मांग की जाती है। न्यायालय से किसी नीतिगत निर्णय की वैधता पर तभी विचार करने के लिए कहा जाता है जब कोई चुनौती दी जाती है कि ऐसा नीतिगत निर्णय संविधान या किसी अन्य वैधानिक अधिकार द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केवल इसलिए कि नीति के रूप में, यदि प्रथम प्रत्यर्थी ने अतीत में छूट दी है इस वजह से कि परीक्षा पैटर्न/पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ था और दी गई स्थिति में, सी. एस. ई. में प्रतिभागी के लिए एक बाधा मानी गई थी, याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले प्रतिवादी को अंतिम और अंतिम प्रयास का लाभ उठाने वाले या ऊपरी स्तर को पार करने वाले प्रतिभागियों को छूट देने वाली नीति के साथ आने के लिए कोई सहायता का दावा नहीं किया जा सकता है।

अधिकार के रूप में परीक्षा 2020 में उपस्थित होने की आयु। [पैरा 45] [227-सी-जी]

3. यह ध्यान में लाया गया है कि न केवल इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे और सभी को किसी न किसी तरह से कुछ बाधाओं/बाधाओं/असुविधा का सामना करना पड़ा होगा और यह न्यायालय न्यायिक नोटिस ले सकता है कि ये याचिकाकर्ता एक ही तरीके से पेश हुए हैं।

वर्ष 2015 से पिछले वर्षों में जांच और कोविड-19 की आड़ में क्या दावा और प्रार्थना की जा रही है महामारी और कुछ नहीं बल्कि भविष्य में आयोजित होने वाले सी. एस. ई. 2021 में भाग लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का एक लंगड़ा बहाना है और दोनों प्रस्तुतियों में से किसी में भी कोई सार नहीं है। [पैरा 46] [227-जी

4. आयोग द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आयोग द्वारा विभिन्न चयन किए गए हैं। कोविड आर. ए. सी. एच. एन. ए. और ओ. आर. एस. के दौरान वर्ष 2020 में केंद्रीय सेवाओं के लिए आयोग।

19 महामारी और चयन राज्य आयोगों और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किए गए होंगे, यदि यह न्यायालय परीक्षा 2020 में भाग लेने वाले कुछ लोगों के प्रति लापरवाही दिखाता है, तो यह एक मिसाल स्थापित करेगा और अन्य धाराओं में परीक्षाओं पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए इस न्यायालय को कला के तहत पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने से मना किया गया है। 142 संविधान से। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय प्रथम प्रतिवादी या कार्यपालिका को इस न्यायालय के समक्ष पेश की जाने वाली कठिनाइयों की प्रकृति को पूरा करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा, यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर स्थिति से निपटने में आता है। [पैरा 47,48] [228-बी-डी]

मामला कानून संदर्भ

[2017] 4 एससीआर 137

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लिखित याचिका (सिविल) सं.

1410 2020 का

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

श्याम दीवान, सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री अनुश्री प्रशित

कपाडिया, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी. , एस. वी. राजू, एएसजी।, पी. एस. नरसिंह, पल्लव

शिशोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कानू अग्रवाल, रजत नायर, अरविंद कुमार शर्मा, रोहित शर्मा, अतुल अग्रवाल, रूनक नायक, सुश्री आरजू चौधरी, सुश्री कांति प्रताप सिंह, कुमार दुष्यंत सिंह, विवेक तिवारी, सुश्री प्रियंका दुबे, डॉ. विनोद कुमार तिवारी, नरेश कौशिक, वर्धमान कौशिक, आदित्य चटर्जी, सुश्री प्रचेता कर, कुणाल मिमानी, सुश्री गरिमा बजाज, आशुतोष घाड़े, हर्ष वी. सुराना, के. एल. जंजानी, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे।

1. हस्तक्षेप के लिए आवेदन की अनुमति है।

2. याचिकाकर्ताओं के समूह को उम्मीद थी कि उनके अंतिम प्रयास में,

वे सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 (संक्षेप में "परीक्षा 2020") में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, जो 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी, लेकिन जब वे अपने लक्षय को प्राप्त करने में विफल रहे, तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तत्काल रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

प्रथम प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेप करने वालों के लिए एक अतिरिक्त प्रयास करने का आदेश दिया गया है क्योंकि उन्हें उपलब्ध प्रयासों के समाप्त होने के कारण भविष्य में परीक्षा का प्रयास करने से रोका जा रहा है या

परीक्षा 2020 के बाद की आयु सीमा के कारण।

3. तत्काल याचिका में जो प्रार्थना की गई है वह इस प्रकार है

निम्नलिखित है:

" (क) अनिवार्य लिखित आदेश या उसकी प्रकृति में कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें और घोषणा करें कि जिन उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा 2020 आयोजित की जाती है, उन्हें अतिरिक्त प्रयास देने के लिए उचित नीति जारी नहीं करने की उत्तरदाताओं की कार्रवाई।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19,29 और 21 के उल्लंघन के रूप में अंतिम प्रयास होगा, और एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के माध्यम से या परमादेश की प्रकृति में, और/या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादी/ओं को याचिकाकर्ताओं सहित अंतिम प्रयास के उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने का निर्देश दें।

अनुमत प्रयास: और/या (
ख) कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

और न्याय के हित में "।

संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स

4. अभिलेखों से चित्रित और इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक पृष्ठभूमि तथ्य यह है कि सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है

प्रत्येक वर्ष द्वितीय प्रत्यर्थी (संघ लोक सेवा आयोग) द्वारा

यू. पी. एस. सी.) और वर्ष 2020 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने 12 फरवरी, 2020 को राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा, 2020 (जिसे इसके बाद "नियम 2020" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के नियमों को अधिसूचित किया गया है, जो दूसरे उत्तरदाता द्वारा तीन चरणों में आयोजित होने वाली 24 सेवाओं/पदों पर भर्ती के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी: - ((i) प्रारंभिक

((ii) मुख्य (iii) व्यक्तित्व परीक्षण।

5. 12 फरवरी, 2020 को प्रकाशित नियम 2020 की योजना सिविल सेवाओं के लिए अंतिम चयन के उद्देश्यों के लिए एक पूर्ण संहिता है। द.

नियम 2020 के नियम 4 और नियम 6 के तहत प्रयासों की संख्या और उम्र के संबंध में पात्रता के लिए निर्धारित मापदंड प्रदान किए गए हैं। नियम 4 और नियम 6 जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

राचना और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे।]

" 4. परीक्षा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार जो अन्यथा पात्र हैं, उन्हें परीक्षा में छह बार प्रयास करने की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि प्रयासों की संख्या पर यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में लागू नहीं होगा जो अन्यथा पात्र हैं। बशर्ते कि अनुमत प्रयासों की संख्या

अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवार, जो अन्यथा पात्र हैं, उनकी आयु नौ होगी। छूट उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं।

बशर्ते कि उम्मीदवारों के साथ व्यक्तियों से संबंधित

बेंचमार्क विकलांगता को अपने समुदाय के बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए जितने प्रयास उपलब्ध हैं उतने प्रयास मिलेंगे, बशर्ते कि सामान्य और ईडब्ल्यूएस से संबंधित बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का उम्मीदवार

मानक अक्षमता जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं। ध्यान दें:

(I) प्रारंभिक परीक्षा के प्रयास को सिविल सेवा परीक्षा का प्रयास माना जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा में, यह माना जाएगा कि उसने परीक्षा में प्रयास किया है। (III) अयोग्यता/उम्मीदवारी के रद्द होने के बावजूद, परीक्षा में उम्मीदवार की उपस्थिति का तथ्य एक प्रयास के रूप में गिना जाएगा।

6. (क) उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और 1 अगस्त, 2020 को उसकी आयु 32 वर्ष नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त, 1988 से पहले और 1 अगस्त, 1999 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए।

विभिन्न सेवाओं से संबंधित संबंधित नियमों/विनियमों में संबंधित परिवर्तन अलग से किए जा रहे हैं।) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी:

((i)

अधिकतम पाँच वर्ष तक यदि कोई उम्मीदवार

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति;

उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक

((ख)

अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं;

(iii)

रक्षा के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक

सेवा कार्मिक, संचालन के दौरान अक्षम

किसी भी विदेशी देश के साथ या एक वितरित देश में शत्रुता

क्षेत्र और उसके परिणामस्वरूप जारी किया गया;

((iv)

पूर्व के मामले में अधिकतम पाँच वर्ष तक

कमीशन प्राप्त अधिकारी और ईसीओएस/एसएससीओ सहित सैनिक जिन्होंने कम से कम पांच साल सैन्य सेवा प्रदान की हो। 1 अगस्त, 2020 को सेवा जारी की गई है;

(क) कार्य पूरा होने पर (उन लोगों सहित जिनका कार्य 1 अगस्त, 2020 से एक वर्ष के भीतर पूरा होना है, अन्यथा

के कारण बर्खास्तगी या निर्वहन के माध्यम से

कदाचार या अक्षमता; या शारीरिक अक्षमता के कारण

(ख)

सैन्य सेवा; या

((ग)

अमान्य होने पर।

(v)

ईसीओ/के मामले में अधिकतम पांच साल तक

एस. एस. सी. ओ. जिन्होंने प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है

1 अगस्त, 2020 को पाँच साल की सैन्य सेवा का कार्यभार और जिसका कार्यभार पाँच साल से आगे बढ़ा दिया गया है और जिसके मामले में मंत्रालय बचाव पक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि वे नागरिक रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें नियुक्ति की प्राप्ति की तारीख से चयन पर तीन महीने के नोटिस पर जारी किया जाएगा।

नियुक्ति का प्रस्ताव।

(vi) व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक

बेंचमार्क विकलांगों के साथ। (क) अंधापन और निम्न आर. ए. सी. एच. एन. ए. और ओ. आर. एस.।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे।]

दृष्टि; (बी) बधिर और सुनने में कठिन; (सी) लोकोमोटर

सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग सहित अक्षमता का इलाज,

बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी; (डी) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; (ई) खंड (ए) से (डी) बधिरता सहित कई विकलांग व्यक्ति।

नोट I: - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवार जो उपरोक्त नियम 6 (बी) के किसी अन्य खंड के तहत भी आते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आने वाले लोग, जिनके साथ बेंचमार्क विकलांग [अर्थात। (ए) अंधापन और कम दृष्टि; (बी) बधिर और सुनने में कठिनाई; (सी) मस्तिष्क सहित लोकोमोटर अक्षमता

पक्षाघात, कुष्ठ रोग ठीक, बौनापन, तेजाब के हमले के शिकार और मांसपेशियां

बेंचमार्क विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। टिप्पणी III: - भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो

भूतपूर्व सैनिकों में भूतपूर्व सैनिकों के रूप में परिभाषित हैं (पुनः सिविल सेवाओं और पदों में रोजगार) नियम, 1979, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

नियमित सेना में योद्धा के रूप में या गैर-योद्धा के रूप में, भारतीय संघ की नौसेना और वायु सेना और जो या तो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट रही हैं

सेवानिवृत्त या मुक्त या ऐसी सेवा से छुट्टी, चाहे वह अपने अनुरोध पर हो या अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा मुक्त किया जा रहा हो।

नोट वी: - आयु के प्रावधान के बावजूद-उपरोक्त नियम 6 (बी) (vi) के तहत छूट, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के उम्मीदवारों को केवल तभी नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में ऐसी शारीरिक परीक्षा के बाद, जैसा भी मामला हो, निर्धारित हो) शारीरिक और चिकित्सा मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाया जाता है। सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के उम्मीदवारों को आवंटित की जाने वाली संबंधित सेवाएं/पद।

ऊपर दिए गए प्रावधान को छोड़कर, निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी मामले में ढील नहीं दी जा सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा, इसे एक प्रयास के रूप में माना जाएगा। उसी समय नियम 6 के तहत, प्रवेश बिंदु पर आयु 21 वर्ष है और 32 वर्ष की आयु में बाहर निकलने की आयु है। लेकिन ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट है और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने वाला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो वर्ग 1 अगस्त, 2020 को 32 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, जैसा कि तत्काल मामले में आगामी सिविल में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गया है।

सेवा परीक्षा, 2021 (संक्षेप में "सी. एस. ई 2021")। 7. प्रथम प्रतिवादी द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित 12 फरवरी, 2020 की अधिसूचना के अनुसार, चयन की प्रक्रिया थी -

आयोग ने उन योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं जो परीक्षा 2020 में उपस्थित होना चाहते हैं। के अनुसार

आयोग द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा 31 मई 2020 को आयोजित की जानी थी। ऑनलाइन आर. ए. सी. एच. एन. ए. और ओ. आर. एस. जमा करने के बाद आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया से संबंधित परिशिष्ट II-बी उसमें संलग्न है।

आवेदन करने पर इसे 12 मार्च, 2020 से 18 मार्च, 2020 तक वापस लिया जा सकता है। इसके बाद उन सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए जो चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते थे, लेकिन अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी के कारण, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 24 मार्च 2020 के अपने आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, आयोग ने अपनी 4 मई, 2020 की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया और आगे सूचित किया कि परीक्षा के संशोधित कार्यक्रम को बाद के चरण में अधिसूचित किया जाएगा।

8. 5 जून 2020 को प्रकाशित अनलॉक 1 दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया

4 अक्टूबर, 2020 को। कई उम्मीदवारों ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं। इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने उम्मीदवारों को 1 जुलाई, 2020 के अपने पत्र द्वारा परीक्षा केंद्र की अपनी संशोधित पसंद जमा करने की अनुमति दी और 1 अगस्त, 2020 से 8 अगस्त, 2020 तक आवेदन वापस लेने के लिए विंडो खोल दी। यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि आवेदन वापस लेने के लिए उम्मीदवारों को दूसरा अवसर दिए जाने के बाद, केवल ऐसे उम्मीदवार बचे थे जिन्होंने अपना मन बना लिया था और आगामी प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मानसिक रूप से तैयार थे जो निर्धारित की गई थी।

4 अक्टूबर, 2020 को आयोजित किया जाएगा।

9. जैसा कि आरोप लगाया गया है कि जब प्रतिवादी द्वारा परीक्षा को स्थगित करने के लिए उनके अभ्यावेदन/आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था,

कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा 2020 को स्थगित करने और ऊपरी आयु सीमा में छूट और एक अतिरिक्त प्रयास के लिए अनुरोध करने के लिए 5 सितंबर, 2020 को इस न्यायालय के समक्ष 2020 की रिट याचिका (सिविल) No.1012 दायर की। इस अदालत को इस अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई दलीलों पर 4 अक्टूबर, 2020 को होने वाली परीक्षा के कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए आयोग को निर्देश जारी करने के लिए राजी नहीं किया गया था। इसके अलावा, एक मुद्दे पर, यह न्यायालय उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि संभव हो तो आयु सीमा के अनुरूप विस्तार के साथ ऐसे उम्मीदवारों को एक और प्रयास प्रदान करने की संभावना का संबंधित अधिकारियों द्वारा पता लगाया जा सकता है। 4 अक्टूबर, 2020 को आयोजित होने वाली दोनों परीक्षाओं को 2021 के लिए निर्धारित परीक्षा के साथ विलय करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस अदालत ने इसका समर्थन नहीं किया।

10. 30 सितंबर, 2020 के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार निकाला गया है:

" (iv) हमारे सामने उठाया गया चौथा मुद्दा यह है कि कुछ उम्मीदवार अंतिम प्रयास कर रहे होंगे और अगली परीक्षा के लिए उम्र-वर्जित होने की संभावना भी हो सकती है, और यदि ऐसे उम्मीदवार कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ हैं।

स्थिति में, यह उनके लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

इस संबंध में, हमने गृह मंत्रालय की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू को प्रभावित किया है।

मामले (एमएचए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ऐसे उम्मीदवारों को एक और प्रयास प्रदान करने की संभावना का पता लगाने के लिए आयु सीमा का संबंधित विस्तार। उन्होंने सभी संबंधितों को न्यायालय की भावनाओं से अवगत कराने और एक औपचारिक निर्णय लेने पर सहमति व्यक्त की है।

उस पर शीघ्रता से निर्णय लें।

11. तथ्य यह है कि सभी रिट याचिकाकर्ता/हस्तक्षेपकर्ता इसमें उपस्थित हुए

4 अक्टूबर, 2020 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा जो थी

74 शहरों में स्थापित। तर्कों के दौरान, निम्नलिखित

इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया था:

-परीक्षा 2020 के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या -

10,56,835 .

-4 अक्टूबर, 2020 को उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या

4,86,952 . -अंतिम प्रयास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित हुए और 2021-3863 के लिए आयु सीमा प्राप्त नहीं की है

-अंतिम प्रयास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो परीक्षा 2020 में उपस्थित हुए थे और सी. एस. ई. 2021-2236 के लिए आयु सीमा तक पहुंचेंगे।

-आयु सीमा के संदर्भ में अंतिम प्रयास करने वाले लेकिन नहीं करने वाले उम्मीदवार

दिखाई देता है-4237

-अंतिम प्रयास का संयुक्त प्रभाव दिखाई दिया: 3863 +2236 = 6099 जो लगभग 1.25% उम्मीदवारों के लिए आता है जो इसके लिए उपस्थित हुए थे

जाँच।

-उपस्थित और गैर-उपस्थित उम्मीदवारों का संयुक्त प्रभाव

और जिन्हें 2021 के लिए छूट की आवश्यकता है, यानी कुल = 3863 + 2236 + 4237 10,336 जो नामांकन करने वाले कुल उम्मीदवारों के 0.97% के बराबर है। परीक्षा, 2020 के लिए।

राचना और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे।]

12. जब वर्तमान याचिकाकर्ता/हस्तक्षेपकर्ता आयोग द्वारा 4 अक्टूबर, 2020 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे, तो उन्होंने तत्काल रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 30 सितंबर, 2020 की पिछली कार्यवाही में पारित आदेश के आलोक में, उम्मीदवारों की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अभी भी प्राधिकरण के पास लंबित था। इस न्यायालय के सम्मान में रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रथम प्रतिवादी द्वारा एक निर्णय लिया गया था और दिनांक 5 फरवरी, 2021 को अवलोकन के लिए रखा गया था, जिसमें सैद्धांतिक रूप से एक बार की सीमित छूट देने पर सहमति व्यक्त की गई थी, जो इन तक सीमित थी -

सी. एस. ई. 2021 केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो परीक्षा 2020 में अपने अंतिम अनुमेय प्रयास के रूप में उपस्थित हुए थे और अन्यथा सी. एस. ई. 2021 में उपस्थित होने से आयु-वर्जित नहीं हैं, और उन उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं दी जाएगी जिन्होंने अपने अनुमत प्रयासों की संख्या को समाप्त नहीं किया है या उन उम्मीदवारों को जो अन्यथा आयु-वर्धित हैं, सी. एस. ई. 2021 में उपस्थित होने से वर्जित हैं। निर्णय का उद्धरण जो 5 तारीख को रिकॉर्ड पर रखा गया था

फरवरी, 2021 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" इस माननीय न्यायालय के सुझाव के अनुसार, भारत संघ

याचिका का निपटारा करते हुए, सहमति आदेश का हिस्सा होने के अधीन, संभावित उम्मीदवारों को दी जाने वाली निम्नलिखित अनुग्रह राशि, एक बार, प्रतिबंधित छूट के लिए सहमत है। उत्तरदाता के लिए सहमत शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. सिविल सेवा परीक्षा (सी. एस. ई.) के लिए केवल एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने की सीमा तक छूट, विशेष रूप से सी. एस. ई.-2021 तक सीमित, केवल उन उम्मीदवारों को दी जा सकती है जो

सी. एस. ई.-2020 के लिए उनके अंतिम अनुमेय प्रयास के रूप में उपस्थित हुए और अन्यथा सी. एस. ई.-2021 में उपस्थित होने के लिए आयु-वर्जित नहीं हैं।

2. सी. एस. ई.-2021 के लिए उन उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं दी जाएगी जिन्होंने अपने अनुमत प्रयासों की संख्या को पूरा नहीं किया है या उन उम्मीदवारों को जो अन्यथा निर्धारित आयु के अनुसार सी. एस. ई.-2021 में उपस्थित होने से वर्जित हैं।

विभिन्न श्रेणियों की सीमाएँ, या किसी अन्य उम्मीदवार के लिए

अन्य कारण जो भी हो।

3. उम्मीदवारों के लिए यह छूट और ऊपर निर्धारित सीमा तक, केवल एक बार की छूट होगी और केवल सी. एस. ई.-2021 में उपस्थित होने के लिए लागू होगी और इसे माना नहीं जाएगा।

एक मिसाल के रूप में।

4. बिंदु 1 पर दी गई छूट, किसी भी निहित अधिकार या किसी अन्य कथित अधिकार का सृजन नहीं करेगी।

समानता या अन्यथा, उम्मीदवारों के किसी अन्य समूह/वर्ग के पक्ष में

भविष्य में किसी भी समय।

पक्षों की दलीलें

13. के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने का मुख्य जोर

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मार्च, 2020 में अभूतपूर्व महामारी के कारण अचानक और सख्त लॉकडाउन ने आम आदमी के जीवन में एक बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया था और अपनाए गए उपायों से कठिनाइयाँ और कठिनाइयाँ पैदा हुईं।

कई उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 2020 की तैयारी में बाधाएं और सरकार पिछले कुछ समय से कोई नीतिगत निर्णय लेने में विफल रही है

परीक्षा 2020 आयोजित करने से पहले प्रशिक्षुओं को एक उचित/उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए और प्रथम उत्तरदाता की पिछली नीति से वरीयता प्राप्त करने के लिए-यदि व्यापक कठिनाइयों का कारण बनता है तो परीक्षा में उपस्थित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, भले ही उनके पास पर्याप्त अवसर और बुनियादी ढांचा न हो और वे अनिश्चितता से अंधे रह गए हों।

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को महामारी की शुरुआत के साथ और उसके मद्देनजर लगाए गए अभूतपूर्व उपायों के कारण नुकसानदेह स्थिति में रखा गया है। इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले उम्मीदवारों को अपनी सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए और आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1968 और आपदा के आह्वान के आलोक में छुट्टी लेने या ड्यूटी/ओवरटाइम ड्यूटी से छूट का दावा करने का लाभ नहीं था प्रबंधन अधिनियम, 2005। अनलॉक दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप आवश्यक सेवाओं और सार्वजनिक रोजगार में व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

15. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को एक अतिरिक्त प्रयास से इनकार करने से उन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ेगा

जिन लोगों ने ऐसी बाधाओं का सामना नहीं किया है जैसे कि अभूतपूर्व महामारी के दौरान याचिकाकर्ताओं को अपनी तैयारी में सामना करना पड़ा है। जबकि अन्य लोगों के पास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परीक्षा 2020 छोड़ने का विकल्प था, अंतिम प्रशिक्षुओं के पास विशेष रूप से उम्र के

मामले में कोई विकल्प नहीं बचा था और उन्हें तैयारी करने का अवसर न होने के बावजूद परीक्षा में बैठना पड़ा जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है

भारत से।

राचना और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे।]

16. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता थे

कोविड-19 महामारी के कारण असंख्य, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण तैयारी के लिए अपनी बुनियादी सुविधाओं से वंचित, जो उनके महत्वपूर्ण समय के दौरान पूरे देश में प्रचलित थी।

तैयारी और यहां तक कि परीक्षा की तारीख पर भी, लेकिन प्रभाव सभी प्रतिभागियों पर समान नहीं हो सकता है और कम से कम उन लोगों के लिए जो आवश्यक सेवा प्रदाता हैं और ऐसे उम्मीदवार एक और प्रयास के हकदार हैं जब वे अपरिहार्य परिस्थितियों में अपने अंतिम प्रयास में लगभग हार गए। 2020 और ऐसे वर्षों के लिए आयु में छूट के अलावा अतिरिक्त प्रयास देने के पिछले उदाहरण हैं जब यूपीएससी सिविल सेवाएँ

परीक्षा के उम्मीदवारों को विभिन्न कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

17. इसके अलावा हस्तक्षेप करने वालों के लिए विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा दिनांक 5 तारीख को विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया

और अन्यथा आयु नहीं-सी. एस. ई. 2021 में उपस्थित होने से उन उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं दी गई है जिन्होंने अपनी अनुमेय अवधि समाप्त नहीं की है। प्रयासों की संख्या या उन उम्मीदवारों के लिए जो अन्यथा सी. एस. ई. 2021 में उपस्थित होने से वर्जित हैं, एक तर्कसंगत निर्णय नहीं है और ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

उन उम्मीदवारों के समूह के बीच वर्गीकरण किया जा सकता है जिन्होंने परीक्षा 2020 में अंतिम प्रयास के रूप में भाग लिया था और प्रयास समाप्त होने या ऊपरी आयु सीमा को पार करने के कारण सी. एस. ई. 2021 में उपस्थित होने से वंचित हैं और पहले उत्तरदाता से स्थिति का समग्र दृष्टिकोण रखने और परीक्षा 2020 में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को एक बार की छूट देने की उम्मीद की गई थी, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि किसी ने सभी प्रयासों का लाभ उठाया है या उम्र पार कर ली है।

सी. एस. ई. 2021 में उपस्थित होने के लिए अयोग्य ठहराना। 18. हस्तक्षेप करने वालों के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि परीक्षा 2020 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व महामारी के कारण प्रभावित हैं और वे तैयारी करने में असमर्थ हैं

उनके सामने आई विभिन्न बाधाओं के कारण परीक्षा में उपस्थित होने के लिए जिनके पर्याप्त कारण इस न्यायालय को प्रस्तुत किए गए हैं। दी गई परिस्थितियों में, कम से कम मामले पर एक उदार और समग्र दृष्टिकोण रखते हुए, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, जो परीक्षा 2020 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को एक बार की छूट प्रदान करता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या किसी ने प्रयासों की संख्या समाप्त कर दी है या निर्धारित [2021] 2 एस. सी. आर.

नियम 2020 के तहत और यह परीक्षा की अखंडता या सीएसई के संभावित प्रतिभागियों पर किसी भी प्रतिबंध को प्रभावित नहीं करता है 2021 और उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले ही प्रयासों का लाभ उठाया है। उम्मीदवारों की सारी उम्मीदें अंतिम प्रयास में बनी हुई हैं, लेकिन उनके सामने आई अभूतपूर्व स्थिति के कारण वह व्यर्थ हो गई थी।

यही एकमात्र कारण था जिसके कारण वे 2020 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपनी पूरी क्षमता नहीं लगा पाए हैं। 19. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं द्वारा अपने बचाव में जवाबी हलफनामे दायर किए गए हैं और यह कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम 2015 से नहीं बदला गया है और

एक उम्मीदवार के लिए इस तरह की परीक्षा की तैयारी करना संभव नहीं है।

अंतिम क्षण और इसके लिए बहुत सारी योजना की आवश्यकता होती है, जिसमें इस तैयारी से गुजरने वाले कई लोग शामिल होते हैं। उम्मीदवारों की प्रवेश आयु 21 वर्ष और सामान्य उम्मीदवारों के लिए निकास आयु 32 वर्ष है। ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण की कुछ श्रेणियों में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए छूट/ऊपरी आयु सीमा उपलब्ध है। इसलिए, सामान्य उम्मीदवारों के लिए 11 साल का समय होता है यदि वे 21 साल की उम्र से तैयारी शुरू कर सकें। नियम 2020 के अनुसार प्रक्रिया शुरू होने के बाद, योजना के अनुसार, परीक्षा 31 मई, 2020 के लिए निर्धारित की गई थी। साढ़े तीन महीने का स्पष्ट समय था और जब तक उम्मीदवार अपने अंतिम प्रयास में उपस्थित हुए, तब तक उनके पास बहुत अनुभव होगा ताकि यह आसानी से अनुमान लगाया जा सके कि उन्होंने चुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय लिया है।

उम्मीदवारों को परीक्षा 2020 की तैयारी करने और इसके कारण होने वाली कठिनाइयों की भरपाई करने के लिए लगभग पांच अतिरिक्त महीने (यानी आठ महीने) मिले। कोविड-19 महामारी, उत्तरदाता द्वारा विभिन्न तौर-तरीकों को अपनाया गया। जहाँ तक याचिकाकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त प्रयास या अतिरिक्त के लिए की गई मांग का संबंध है

वर्ष का संबंध है, यह विशेष रूप से कहा गया है कि एक अतिरिक्त प्रयास या वर्ष देने के परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा

जो उम्मीदवार सी. एस. ई. 2021 के लिए उपस्थित हो रहे हैं और इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा एक अतिरिक्त प्रयास की मांग की गई है जो अंतिम प्रयासकर्ता हैं या जिन्होंने आयु सीमा पार कर ली है।

20. विद्वान वकील के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप इस कारण से भेदभाव होगा कि सभी प्रशिक्षु प्रकृति आर. ए. सी. एच. एन. ए. और ओ. आर. एस. के बावजूद भेदभाव करते हैं।

प्रयास (यानी पहली, दूसरी आदि) को इस कोविड-19 के दौरान नुकसान उठाना पड़ा होगा।

महामारी और इसलिए केवल अंतिम प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त प्रयास देने पर विचार करना भेदभावपूर्ण होगा। साथ ही ऐसे सफल उम्मीदवार भी शिकायत कर सकते हैं लेकिन कोविड-19 के लिए सफल उम्मीदवारों की सूची में उनकी रैंकिंग बहुत अधिक होती, इसलिए उन्हें एक अतिरिक्त मौका भी दिया जाना चाहिए। इसी तरह जहाँ तक उच्च आयु का संबंध है और जहाँ तक याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलें हैं, तर्क लागू होगा।

21. यह भी कहा गया है कि पहला राष्ट्रीय लॉकडाउन 25 मार्च, 2020 को लागू हुआ, यानी 12 फरवरी, 2020 को प्रकाशित परीक्षा की सूचना के डेढ़ महीने बाद। 1 जून, 2020 से, लॉकडाउन को धीरे-धीरे मासिक आधार पर शुरू किया गया था और प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर, 2020 को आयोजित की गई थी। अनलॉक दिशानिर्देश 5 लागू थे। याचिकाकर्ताओं के तर्क की हड्डी को पूरा करने के लिए कि छूट देने के लिए उदाहरण हैं

पहले के अवसरों का संबंध है, यह कहा गया है कि ये एक विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में कार्यपालिका द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय हैं और वर्तमान निर्णय को दी गई परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए, जिसमें कोई सापेक्षता या तुलना नहीं है।

22. यह भी कहा गया है कि जो उम्मीदवार उपस्थित हुए थे

परीक्षा में परीक्षा 2020 के नियमों को स्वीकार कर लिया था और अब उपस्थित होने और असफल होने के बाद, उन्हें परीक्षा 2020 में विफल होने के बाद एक ही सांस में अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रस्तुतिकरण इस कारण से अच्छा नहीं हो सकता है कि उनकी प्रार्थना सी. एस. ई. 2021 में उपस्थित होने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की है और याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक परीक्षा 2020 की चयन प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया है, जो अस्वीकृति के योग्य है।

23. द्वितीय प्रतिवादी (यूपीएससी) ने भी अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह कहा गया है कि देश में प्रचलित परिस्थितियों के कारण

वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण आयोग द्वारा परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने के लिए कई निर्णय लिए गए थे क्योंकि वास्तव में लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। एन. डी. ए. और एन. ए. परीक्षा के साथ परीक्षाओं की शुरुआत हुई।

(I) और (II) 6 सितंबर, 2020 को और परीक्षा 2020 के अलावा, निम्नलिखित परीक्षाएँ और भर्ती परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं।

6 सितंबर, 2020 से 20 दिसंबर की अवधि के दौरान आयोग, 2020 :

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. एल. नं.

नाम

तारीख की

संख्या का

संख्या का

में से

उम्मीदवार

उम्मीदवार

जाँच

जाँच

लागू किया गया

प्रकट हुआ।

1 एनडीए/एनए परीक्षा (I) और 06.09.2020

530185

240445

(II)

2 सिविल सेवाएँ (पूर्व)

1040060

482770

04.10.2020

परीक्षा

1461

3 भारतीय आर्थिक

16-18 अक्टूबर, 2020

10458

सेवा

16-18 अक्टूबर, 2020

4 भारतीय सांख्यिकी

1753

12090

सेवा परीक्षा

संयुक्त

619

17-18 अक्टूबर, 2020

720

5

भूवैज्ञानिक (मुख्य)

परीक्षा

6 इंजीनियरिंग सेवाएँ

1955

2263

10.10.2020

(मुख्य) परीक्षा

7 संयुक्त चिकित्सा

22.10.2020

43120

20213

सेवा परीक्षा

8 संयुक्त रक्षा

118250

234343

08.11.2020

सेवा परीक्षा-II

9 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस

20.12.2020

296066

89946

बल परीक्षा

10

सीबीआरटीएस

26988

14250

20.12.2020

कुल

2196293

971662

24. आयोग के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि

रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना लेकिन जहां तक दूसरे प्रतिवादी (यूपीएससी) का संबंध है, इस दौरान विभिन्न केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में सभी प्रभावी उपाय अपनाए गए थे। उक्त अवधि और भोग जिसके लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा परीक्षा 2020 में अनुरोध किया गया है, दी गई परिस्थितियों में, जिनके विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, इस न्यायालय द्वारा आगे भोग की आवश्यकता नहीं है।

विश्लेषण 25. हमने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुना है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होना; श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री नरेश कौशिक, विद्वान वकील

उत्तरदाताओं; श्री पी. वी. नरसिम्हा और श्री पल्लव शिशोदिया, हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

" जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, वह यह है कि

क्या याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं और अन्य समान रूप से रखे गए हैं उम्मीदवार सी. एस. ई. आर. ए. सी. एच. एन. ए. और ओ. आर. एस. के लिए एक और/अतिरिक्त अवसर के हकदार हैं।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे।]

2021 अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी के कारण, जैसा कि आरोप लगाया गया है कि इसने उन्हें प्रभावी रूप से इससे वंचित कर दिया है

परीक्षा 2020 में भाग लेना "।

26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत या बाकी दुनिया के लिए कोविड-19 अभूतपूर्व अनुपात की आपदा रही है। कोविड का संकट

तंत्र। हम न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि जब कोविड-19 भारत में आया था, तब देश के पास पहले से ही कानूनी और प्रशासनिक साधन थे महामारी से उत्पन्न होने वाले कई संकटों को रोकने और उनका प्रबंधन करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना और सक्षम बनाना। सबसे अधिक कानूनी साधनों में से दो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महामारी रोग अधिनियम, 1897 हैं जिन्हें वर्ष 2020 में संशोधित किया गया था।

27. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके व्यापक प्रसार के कारण,

देशों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा बंद करने के साथ-साथ खुद को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही, लॉकडाउन को दिए गए बिंदु पर मान्यता दी गई है

समय के साथ महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका और लगभग हर देश ने इस विधि को अपनाया है।

28. 25 मार्च, 2020 को, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (डी. एम. अधिनियम) को भारत में पहली बार लागू किया गया था क्योंकि इसे लगभग एक करोड़ रुपये में पारित किया गया था।

डेढ़ महीना पहले, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जो तब फैलने के अपने प्रारंभिक चरण में थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.) जिसे गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया था

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसरण में मामलों (एम. एच. ए.) ने डी. एम. अधिनियम की धारा 6 (2) (i) के तहत 24 मार्च, 2020 को एक अधिसूचना जारी की। आदेश ने मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया कि

भारत सरकार और राज्य सरकारें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ "देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने" के लिए उपाय करेंगी।

29. कोविड-19 महामारी के इस प्रसार के शुरुआती चरणों में, प्रतिक्रिया ने हमारे देश में वायरस के प्रवेश को नियंत्रित करने का प्रयास किया सीमा नियंत्रण, देश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच के माध्यम से, [2021] 2 एस. सी. आर. का पालन करें।

देशव्यापी लॉकडाउन के उपाय: लॉकडाउन 1 (25 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल, 2020), लॉकडाउन 2 (16 अप्रैल, 2020 से 3 मई, 2020) और लॉकडाउन 3 और 4 (4 मई, 2020 से 17 मई, 2020 और फिर 31 मई तक)। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और प्रचारित, ये लॉकडाउन जमीनी स्थिति के आधार पर दायरे और प्रकृति में भिन्न थे। 30. इसके बावजूद कोविड-19 महामारी ने आम आदमी की आजीविका को सभी स्तरों पर प्रभावित किया है, चाहे वह शिक्षा प्रणाली का स्तर हो।

प्री-स्कूल से लेकर तृतीयक शिक्षा तक। विभिन्न देशों ने विभिन्न प्रकार की शुरुआत की व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को पूरा करने में नीतियाँ लेकिन कोविड-19 महामारी ने हमारे लिए उस अभूतपूर्व स्थिति से सीखने के लिए अपने पैर छोड़े हैं, जिसका सामना हर कोई अचानक कर चुका है

समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली, उनके काम करने के तरीके, सामाजिक सुरक्षा से लेकर व्यक्तिगत मानवाधिकारों तक, वृहत अर्थव्यवस्था से लेकर घरेलू आय और भविष्य में किसी भी कठिन स्थिति का सामना करने के लिए हमें और अधिक मजबूत बना दिया है और अनुभव से हम यही सीखते हैं। एक पुरानी कहावत है "हर बुराई में अच्छाई होती है"। फिर भी जीवन को सभी स्थितियों में आगे बढ़ना पड़ता है, और इस देश ने इसका सामना किया है, लेकिन इस अभूतपूर्व स्थिति से दृढ़ता से लड़ा है और आम आदमी की अर्थव्यवस्था और जीवन उम्मीद से कम समय में सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है।

31. याचिकाकर्ताओं के तत्काल मामले के तथ्यों की ओर लौटते समय, पहले ब्लश में उनके द्वारा जो प्रार्थना की गई है वह आकर्षक प्रतीत होती है, लेकिन इसमें विभिन्न कारणों से कानूनी ताकत और आधार का अभाव है।

32. नियम 2020 की योजना जिसमें से एक विस्तृत संदर्भ दिया गया है और विशेष रूप से नियम 4 और 6 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रवेश की आयु 21 वर्ष है और सामान्य उम्मीदवारों के लिए निकास की आयु 32 वर्ष है और कम से कम प्रत्येक उम्मीदवार को प्रतियोगी परीक्षा, यानी सी. एस. ई. में भाग लेने के लिए न्यूनतम 11 वर्ष मिलते हैं।

तत्काल मामला। जो लोग ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण का दावा करते हैं, उनके पास कई/असीमित अवसर हैं और वे आयु में छूट के भी हकदार हैं। इस प्रकार, यह योजना उम्मीदवारों को सभी स्तरों पर इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर ध्यान देती है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि नियम 2020 के नियम 6 के तहत, एक स्पष्ट आदेश है कि किसी भी मामले में निर्धारित आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है, बशर्ते कि विभिन्न श्रेणियों के लिए छूट दी गई हो। जहाँ तक उन उम्मीदवारों की बात है जो सामान्य श्रेणी में आते हैं और जिनके पास आर. ए. सी. एच. एन. ए और ओ. आर. एस है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे।]

32 वर्ष की आयु को पार करने वाले उम्मीदवारों के लिए तत्काल परीक्षा 2020 में उपस्थित होने के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट देने का अधिकार नहीं है।

33. प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम 2015 से नहीं बदला है और सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए प्रथम उत्तरदाता द्वारा नियम 2020 को अधिसूचित किए जाने के बाद, पहली बार में नोटिस 12 फरवरी 2020 को प्रकाशित किया गया था और परीक्षा की निर्धारित तिथि थी 31 मई, 2020 को निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व स्थिति के कारण, आयोग ने परीक्षा को स्थगित करने का नीतिगत निर्णय लिया और बदली हुई स्थिति में, लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद, अंततः 5 जून, 2020 को 4 अक्टूबर, 2020 को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया और इसलिए, तीन महीने के बजाय, उम्मीदवारों को अतिरिक्त पांच महीने (यानी आठ महीने) मिले, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी कर सकता है।

नियम 2020 की योजना। 34. नियम 2020 की योजना के तहत, केवल फॉर्म भरना एक प्रयास का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि कोई प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी पेपर में उपस्थित हुआ, तो उसे एक माना जाता था

उम्मीदवार द्वारा लिया गया प्रयास और दी गई स्थिति में, आवेदन पत्र भरने के बाद, जो उम्मीदवार कोविड-19 महामारी के कारण बाद के चरण में अपना आवेदन पत्र वापस लेना चाहते थे, आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए दूसरी बार खिड़की खोलने का नीतिगत निर्णय लिया, जो 1 अगस्त, 2020 से 8 अगस्त, 2020 तक अपना आवेदन वापस लेने का इरादा रखते थे। चूंकि परीक्षा 4 अक्टूबर, 2020 को निर्धारित की गई थी, केवल वे उम्मीदवार बचे थे जो परीक्षा 2020 में उपस्थित होने के लिए मानसिक रूप से तैयार थे और परीक्षा 2020 में उपस्थित होने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक थे और परीक्षा में उपस्थित होने के बाद, जब वे अर्हता प्राप्त नहीं कर सके, तो इसने कोविड-19 महामारी के विशिष्ट आधार पर वर्तमान मुकदमेबाजी को एक रास्ता दिया है कि वे चयन प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने में असमर्थ थे, जिसे आयोग द्वारा 4 अक्टूबर, 2020 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए शुरू किया गया था।

35. यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि वर्तमान परीक्षा 2020 के अलावा, इसे इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है

कि उन उम्मीदवारों के लिए उपचारात्मक उपाय अपनाए गए जिन्होंने कोविड [2021] 2 एस. सी. आर. के दौरान दिए गए समय पर आयोग द्वारा केंद्रीय सेवाओं के लिए आयोजित विभिन्न परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं में भाग लिया था।

19 महामारी और इसके अलावा, राज्य आयोगों/भर्ती एजेंसियों ने विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी परीक्षाएँ/भर्ती परीक्षाएँ आयोजित की होंगी और केवल इसलिए कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में की गई शिकायत को कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में अतिरिक्त अवसर/प्रयास की मांग के उद्देश्य से अलग से नहीं लिया जा सकता है, जिसका सामना न केवल परीक्षा 2020 में उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा किया गया है, बल्कि राज्य आयोगों या अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा किया गया है और कुल मिलाकर, समाज के प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी तरह से वैध अधिकार नहीं देता है।

याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ/प्रयास का दावा करने के लिए जो अन्यथा नियम 2020 की योजना के तहत अनुमत नहीं है।

प्रयास या आयु में छूट देने के लिए प्रतिवादी और विवेकाधिकार का कोई भी प्रयोग जो प्रथम प्रतिवादी के साथ निहित नहीं है, यदि प्रयोग किया जाता है, तो नियम 2020 की योजना का उल्लंघन हो सकता है। 37. इस न्यायालय के 30 सितंबर, 2020 के आदेश को ध्यान में रखते हुए 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1012 में पारित किया गया था।

कार्यवाहियों में, इस न्यायालय ने उन उम्मीदवारों के लिए कुछ सहानुभूति दिखाई है जो अपना अंतिम प्रयास कर रहे थे और अगली परीक्षा के लिए उम्र वर्जित होने की भी संभावना थी, यदि उन्हें कोई अनुग्रह दिखाया जा सकता था। इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रथम प्रतिवादी ने एक ऐसा तरीका खोजने का प्रयास किया है जिससे ऐसे उम्मीदवारों को सांत्वना दी जा सके और इस न्यायालय के समक्ष यह भी रखा कि उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने की संभावना है जिन्होंने परीक्षा 2020 में अंतिम और अंतिम प्रयास का लाभ उठाया था, बशर्ते कि वे नियम 2020 के नियम 6 के तहत प्रदान किए गए अपने संबंधित आयु वर्ग के भीतर हों। प्रस्ताव को रिकॉर्ड में रखे जाने के बाद, यहां तक कि

याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं ने स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह प्रस्ताव जो प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उनके अनुसार इस न्यायालय का विचार भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

38. हम याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा 1 द्वारा रखे गए निर्णय पर सवाल उठाने के लिए जो आग्रह किया जा रहा है, उसमें सार पाते हैं।

हमारे विचार के लिए प्रतिवादी। यदि कोई अतिरिक्त प्रयास अंतिम प्रशिक्षुओं तक ही सीमित रहता है क्योंकि उन्हें आर. ए. सी. एच. एन. ए. और ओ. आर. एस. का सामना करना पड़ा था।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे।]

कोविड-19 महामारी के दौरान, परीक्षा 2020 में उपस्थित होने वाले सभी प्रशिक्षुओं को प्रयास की प्रकृति (यानी पहली, दूसरी आदि) की परवाह किए बिना होना चाहिए

39. हम इस तथ्य को पाते हैं कि नियम 2020 की योजना के तहत प्रयास या उम्र में कोई भी रियायत उपलब्ध नहीं है, साथ ही, याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेप करने वालों द्वारा चरित्र में भेदभावपूर्ण होने की शिकायत के अलावा प्रथम प्रतिवादी द्वारा हमारे सामने रखा गया प्रस्ताव, हमारा यह भी विचार है कि इस स्थिति से बचने की सलाह दी जाती है और नियमों के उल्लंघन के अलावा नियम 2020 की योजना के तहत प्रयास या उम्र में किसी भी छूट की अनुमति नहीं है, यह भेदभावपूर्ण हो सकता है और यह सलाह दी जाती है कि इस न्यायालय के 30 सितंबर, 2020 के आदेश के अनुपालन में प्रथम प्रतिवादी द्वारा जो प्रस्तावित किया जा रहा है उसे लागू करने में विवेक का प्रयोग न करें। 40. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने का जोर यह था कि प्रतिवादी द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है

पहले के चयनों में नीति और वर्तमान याचिकाकर्ताओं को एक वैध उम्मीद है कि सरकार को उस अभूतपूर्व स्थिति को दूर करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए जिसका याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा 2020 में भाग लेते समय सामना किया है और चयन प्रक्रिया में उनके निष्पक्ष विचार और प्रभावी भागीदारी के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

41. हमारा विचार है कि प्रस्तुतिकरण इस कारण से सारहीन है कि कार्यपालिका द्वारा पहले लिए गए नीतिगत निर्णय

जिन अवसरों का संदर्भ दिया गया है, वे हमेशा [2021] 2 एस. सी. आर. पर निर्भर करते हैं।

दिए गए समय पर तथ्यों और परिस्थितियों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए जिनमें इसका प्रयोग सक्षम प्राधिकारी या पहले प्रतिवादी द्वारा किया गया है जैसा कि तत्काल मामले में किया गया है।

42. उनकी आगे की शिकायत है कि हमेशा ऊपरी आयु सीमा और विभिन्न वर्तनी में प्रयासों की संख्या में परिवर्तन होता है और आगे इस बात पर जोर दिया गया कि वर्ष 2015 में, प्रथम उत्तरदाता ने सी. एस. ई. 2011 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा 2015 में एक और प्रयास की अनुमति दी। यद्यपि उत्तरदाताओं द्वारा उनके उत्तर में औचित्य प्रस्तुत किया गया है कि क्योंकि एक पर्याप्त था

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2011 के स्वरूप में परिवर्तन, दी गई परिस्थितियों में, प्रथम उत्तरदाता ने अपने विवेक में सिविल सेवा परीक्षा, 2015 में एक और प्रयास देना उचित समझा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा, 2011 में या तो उच्च आयु सीमा तक पहुंचने के कारण या प्रयासों की संख्या समाप्त होने के कारण उपस्थित हुए थे और यह दी गई स्थिति थी जो अनुमति देने में नीतिगत निर्णय लेने में पहले प्रतिवादी पर प्रबल थी, लेकिन इसे याचिकाकर्ताओं के लिए आधार या आधार नहीं बनाया जा सकता है जो अधिकार के मामले के रूप में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग करने का दावा करने में एक मिसाल के रूप में स्थापित किया जा सकता है जो नियम 2020 की योजना के तहत या संविधान के अनुच्छेद 14 की सहायता से अनुमत नहीं है ताकि दी गई परिस्थितियों में कथित रूप से सामना की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए निर्णय लिया जा सके।

43. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि नीतिगत निर्णय खुले होते हैं।

इस न्यायालय द्वारा बहुत सीमित उद्देश्य के लिए न्यायिक समीक्षा के लिए और यह न्यायालय इस प्रकार बनाई गई सार्वजनिक नीति के दायरे में हस्तक्षेप कर सकता है यदि यह या तो पूरी तरह से मनमाना है, पूरी तरह से मनमाना है या कारणों से सूचित नहीं है और इस न्यायालय द्वारा भारत संघ और अन्य बनाम एम. सेल्वाकुमार और अन्य 2017 (3) एस. सी. सी. 504 में विचार किया गया है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" 47. एक और कारण है जिसके कारण हम मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण और छूट सरकारी नीति का विषय है और सरकार ने प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद छूट और छूट दी है।

आरक्षित श्रेणी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को रियायतें। यह जांच शुरू करना अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान और स्वीकार्य है या क्या बेहतर आर. ए. सी. एच. एन. ए. और ओ. आर. एस. है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे।]

फ्रेम पूरी तरह से मनमौजी और कारणों से गैर-सूचित है, या पूरी तरह से मनमाना, के अनुच्छेद 14 की बुनियादी आवश्यकता का उल्लंघन

संविधान "।

(जोर दिया गया)

44. यह वह मामला था जहाँ दिए गए प्रयासों की संख्या

यूपीएससी में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई

सी. एस. ई. परीक्षा और ओ. बी. सी. से संबंधित उम्मीदवारों ने प्रयासों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने का अनुरोध करते हुए इस न्यायालय का रुख किया था, जो कि एक अतिरिक्त 3 प्रयास है क्योंकि यह शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के मामले में किया गया था, लेकिन इसे इस न्यायालय द्वारा ऊपर बताए गए कारणों से खारिज कर दिया गया था।

45. नीतिगत निर्णय की न्यायिक समीक्षा और इसके लिए आदेश जारी करना

रचनात्मक प्रक्रिया शामिल है। अदालतों के पास कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार क्षेत्र है। वह भी, जहाँ इसकी मांग की जाती है। न्यायालय को किसी नीतिगत निर्णय की वैधता पर तभी विचार करने के लिए कहा जाता है जब चुनौती दी जाती है कि इस तरह का नीतिगत निर्णय संविधान या किसी अन्य वैधानिक अधिकार द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केवल इसलिए कि नीति के रूप में, यदि पहले प्रतिवादी ने अतीत में इस कारण से छूट दी है कि परीक्षा पैटर्न/पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ था और दी गई स्थिति में, एक माना गया था

सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिभागी के लिए बाधा, याचिकाकर्ताओं द्वारा उन प्रतिभागियों को छूट देने वाली नीति के साथ आने के लिए प्रथम प्रतिवादी को अनिवार्य करने में कोई सहायता का दावा नहीं किया जा सकता है जिन्होंने अंतिम और अंतिम प्रयास का लाभ उठाया था या अधिकार के रूप में परीक्षा 2020 में उपस्थित होकर ऊपरी आयु को पार कर लिया था।

46. यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि न केवल याचिकाकर्ता /

इस न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप करने वाले, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे और सभी को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा /

एक या दूसरे तरीके से बाधाएं/असुविधा और यह न्यायालय न्यायिक नोटिस ले सकता है कि ये याचिकाकर्ता वर्ष 2015 से पिछले वर्षों में परीक्षा के उसी पैटर्न में उपस्थित हुए हैं और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोविड-19 महामारी की आड़ में जिसके लिए दावा और प्रार्थना की जा रही है, वह और कुछ नहीं बल्कि भविष्य में आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा 2021 में भाग लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए एक लंगड़ा बहाना है और हम दोनों में से किसी भी प्रस्तुति में कोई सार नहीं पाते हैं जो हमारे सामने की गई है।

47. आयोग द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आयोग द्वारा विभिन्न चयन किए गए हैं -

कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में केंद्रीय सेवाओं और चयन राज्य आयोगों और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा किए गए होने चाहिए, यदि यह न्यायालय उन कुछ लोगों के प्रति अनुग्रह दिखाता है जिन्होंने इसमें भाग लिया था।

48. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह निर्णय प्रथम प्रतिवादी या कार्यपालिका को बैठक में अपने विवेक का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा। यदि आवश्यकता हो तो भविष्य में स्थिति से निपटने में आने वाली कठिनाइयों की प्रकृति को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

49. नतीजतन, याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

50. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

लिखित याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन